



दिल्ली विश्वविद्यालय UNIVERSITY OF DELHI

(राजभाषा प्रकोष्ठ RAJBHASHA CELL)

कमरा संख्या : 107, प्रथम तल, नया प्रशासनिक खंड, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007(दूरभाष : 011-27666269, एक्स नं. : 1225)

Room No.: 107, 1st Floor, New Administrative Block, University of Delhi, Delhi-110007 (Phone : 011-27666269, Ext. No. : 1225)

फा.सं. : आरबीसी/324/वार्षिक कार्यक्रम(14)/2023 / 608-998

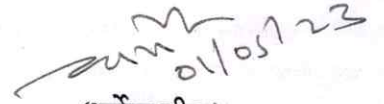
दिनांक: 01/05/2023.

परिपत्र CIRCULAR

विषय: संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का वार्षिक कार्यक्रम – 2023-24।

उपर्युक्त विषय पर संयुक्त निदेशक(राजभाषा), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 12/04/2023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13035-6/2021-रा.भा.ए. के साथ राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम 2023-24 की प्रतिलिपि विश्वविद्यालय के सभी विभागों/अनुभागों/कार्यालयों/केंद्रों इत्यादि के प्रमुखों एवं विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों के सभी प्राचार्यों को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि वे अपने सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें और वार्षिक कार्यक्रम 2023-24 में उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में ठोस उपाय करें।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(धर्मेन्द्र मीना)
सहायक कुलसचिव (राजभाषा)

प्रति:

1. सभी विभाग/कार्यालय/अनुभाग प्रमुख, दिल्ली विश्वविद्यालय
2. दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य

प्रतिलिपि :

निदेशक, दक्षिण परिसर एवं अध्यक्ष, रा.भा.का.स.
कुलसचिव, दिल्ली विश्वविद्यालय

}

- कृपया सूचनार्थ

फा. सं. 13035-6/2021 रा. भा. ए

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
राजभाषा प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 12 अप्रैल, 2023

कार्यालय जापन

विषय: संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का वार्षिक कार्यक्रम- 2023-24 (Annual Programme-2023-24 for transacting the Official work of the Union in Hindi).

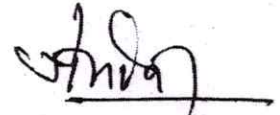
उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए जारी किया गया वार्षिक कार्यक्रम- 2023-24 की एक प्रति अनुपालनार्थ संलग्न है।

2. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निदेशों का अनुपालन करने के साथ-साथ वार्षिक कार्यक्रम 2023-24 में निर्धारित मदवार लक्ष्यों को आपके क्षेत्राधिकार में आने वाले कार्यालयों/प्रभागों/अनुभागों/एककों में प्राप्त करने के लिए एक निश्चित कार्य-योजना (Action Plan) बनाकर उसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

3. उल्लेखनीय है कि वार्षिक कार्यक्रम- 2023-24 को राजभाषा विभाग की वेबसाइट (<https://rajbhasha.gov.in>) से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

4. संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु किसी भी आवश्यकता के लिए मुझसे संपर्क करने में कृपया संकोच न करें।

संलग्न: यथोक्त।



(जगदीश राम पौरी)

संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

दूरभाष: 011-23380429

jr.pauri@nic.in

सेवा में,

1. शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ /कार्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों/परिषदों/समितियों/संगठनों/न्यास/आयोगों/बोर्डों/स्वायत्त निकायों आदि के प्रमुख।
2. उच्चतर शिक्षा विभाग तथा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के सभी ब्यूरो/प्रभाग/अनुभाग/एकक आदि।
3. एनआईसी प्रकोष्ठ को इस अनुरोध के साथ कि इसे शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट तथा ई-ऑफिस पर अपलोड किया जाए।



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए
वार्षिक कार्यक्रम
2023-24

**ANNUAL PROGRAMME
FOR TRANSACTING THE OFFICIAL WORK OF THE
UNION IN HINDI
2023-24**

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

राजभाषा विभाग

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
www.rajbhasha.gov.in

Annual Programme for 2023-24 for use of Hindi

<u>S.NO</u>	<u>DETAILS OF WORK</u>	<u>'A' REGION</u>		<u>'B' REGION</u>		<u>'C' REGION</u>	
1.	Originating Correspondence in Hindi (including E-mail)	1. From A to A 2. From A to B 3. From A to C 4. From Region A to Offices/ Individuals in States / UTs of A & B region	100% 100% 65% 100%	1. From B to A 2. From B to B 3. From B to C 4. From Region B to Offices Individuals in States / UTs of A & B region	90% 90% 55% 90%	1. From C to A 2. From C to B 3. From C to C 4. From Region C to Offices/ Individuals in States / UTs of A & B region	55% 55% 55% 55%
2.	Letters received in Hindi to be answered in Hindi		100%		100%		100%
3.	Noting in Hindi		75%		50%		30%
4.	Training Programme through Hindi Medium		70%		60%		30%
5.	Recruitment of employees utilized for Hindi Typing & Stenographers		80%		70%		40%
6.	Dictation in Hindi/ Direct Typing on Key-Board (self and by the Assistant)		65%		55%		30%
7.	Hindi Training (Language, Typing/ Stenography)		100%		100%		100%
8.	Preparation of Bilingual Training Material		100%		100%		100%
9.	Expenditure for the purchase of Hindi books etc., including digital material i.e., Hindi e-books, CD/DVD, Pen Drive including amount incurred on Translation in Hindi from and Regional Languages out of the total Library grant excluding journals and standard reference books.		50%		50%		50%
10.	Purchase of all electronic equipment including computers having bilingual i.e. Hindi and English working facility.		100%		100%		100%

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2023-24 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं. कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1. हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 100% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 90% के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 55% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति
2. हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3. हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4. हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5. हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6. हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7. हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8. द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9. जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुलअनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद	100%	100%	100%

11. Website bilingual	100%	100%	100%
12. Citizen Charter and display of Public interface information Board bilingual	100%	100%	100%
13. (i) Inspection by Ministries/ Departments/ Offices of their offices located outside their Headquarters by the officers (DS/Dir/JS) and officers of OL sections	25% (minimum)	25% (minimum)	25% (minimum)
(% of Offices)			
{II} Inspections of sections at Headquarters.	25% (minimum)	25% (minimum)	25% (minimum)
{III} Joint inspections by the officers concerned& those of the Departments of Official Language of Foreign based Undertakings/ Offices etc. owned or controlled by the Central Government.	At least one inspection in a year.		
14. Meetings regarding Official Language			
(A) Hindi SalahakarSamiti	02 meetings in a year		
(B) Town Official Language Implementation Committee.	02 meetings in a year (One meeting in every six months)		
(C) Official Language Implementation Committee.	04 meetings in a year (One meeting in every quarter)		
15. Translation of Codes, Manuals, Forms, Procedural literature.	100%	100%	100%
16 Sections of the Ministries/ Departments/ Offices/ Banks/ Undertakings where entire work to be done in Hindi.	40%	30%	20%

(Minimum Sections)

40% in 'A' Region, 25% in 'B' Region and 15% in 'C' Region work may be done in Hindi for those Public Sector Undertakings/ Corporations where there is no concept of sections.

11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं।	100%	100%	100%
13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें			
	(क) हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 2 बैठकें	
	(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)	
	(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों।	40%	30%	20%
			(न्यूनतम अनुभाग)	
			सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 40%, "ख" क्षेत्र में 25% और "ग" क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाए।	